बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०: 01–सू०प्रा०(स्था०)–47 / 2022.................. पटना, दिनांक.............................

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–14997, दिनांक 26.08.2022 द्वारा निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर कुल 06 अभ्यर्थियों की अनुशंसा आवंटन आरक्षण / रोस्टरवार प्रदान करते हुए अनुशंसित अभ्यर्थियों को कार्यालय आवंटन तिथि से आगामी 15 दिनों के अन्दर संबंधित विभाग / कार्यालय में निश्चित रूप से योगदान समर्पित किय जाने हेतु दिये गये निदेश के आलोक में संबंधित निम्नवर्गीय लिपिकों द्वारा निम्नांकित रूप से विभाग में योगदान समर्पित किया गयाः–

क्र०	नाम	योगदान की तिथि
I.	श्री राहुल कुमार	26.08.2022
II.	श्री उदय प्रताप सिंह	26.08.2022
III.	श्री रवि कुमार	29.08.2022
IV.	श्री अमरजीत कुमार	29.08.2022
V.	श्री निखिल राज	30.08.2022
VI.	श्री राजीव कुमार	01.09.2022

2. पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15935 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2014 (पद–निम्नवर्गीय लिपिक) के आधार पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, हस्ताक्षर एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संधारित Biometric Data (फोटो, अंगुठे का निशान) एवं अन्य सभी प्रमाण–पत्रों का मिलान एवं सत्यापन के उपरांत ही अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र (फोटो सहित) निर्गत करने एवं योगदान स्वीकृति की कार्रवाई की जाय।

3. उक्त निर्देश के आलोक में सभी प्रमाण–पत्रों Biometric Data सहित का मिलान एवं सत्यापन की कार्रवाई करने के उपरांत कार्यालय आदेश संख्या–1157 दिनांक 26.10.2022 द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के आलोक में संबंधित निम्नवर्गीय लिपिकों के द्वारा निम्नांकित रूप से पुनः योगदान किया गया :–

क्रम सं०	निम्नवर्गीय लिपिक का नाम	द्वितीय योगदान की तिथि
i	श्री राहुल कुमार	26.10.2022
ii	श्री उदय प्रताप सिंह	26.10.2022
iii	श्री रवि कुमार	26.10.2022
iv	श्री अमरजीत कुमार	26.10.2022
v	श्री राजीव कुमार	26.10.2022
vi	श्री निखिल राज	26.10.2022

उक्त नियुक्ति पत्र के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिकों के द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से विभागीय कार्यालय आदेश–1397 दिनांक 28.11.2022 द्वारा योगदान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. निम्नवर्गीय लिपिकों के द्वारा यह अभ्यावेदन दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–14994 दिनांक–26.08.2022 के कंडिका–08 में दिये गये निदेश के आलोक में ही उनके द्वारा

क्रमशः पृष्ठ–2/–

सूचना प्रावैधिकी विभाग में योगदान दिया गया था। उक्त कंडिका में अनुशंसित अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया गया था कि कार्यालय आवंटन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर वे अपना योगदान संबंधित विभाग/कार्यालय को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नही करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नही करने की स्थिति में उनकी वर्तमान अनुशंसा रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। अतएव प्रथम योगदान की तिथि से ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

5. विभाग के स्तर पर मामलें की समीक्षा की गई एवं इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श निम्नांकित है :–

वस्तुतः विचाराधीन मामलें में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में 15 दिनों के अन्दर योगदान देने का निदेश अंकित रहने के कारण ही कठिनाई उत्पन्न हुई है। योगदान संबंधी निदेश वस्तुतः नियुक्ति पत्र में होना चाहिए था। परन्तु यह भी तथ्य है कि अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निदेश के अनुपालन में ही योगदान किया गया है। सम्भव है कि कतिपय ऐसे अभ्यर्थी भी हों जो पूर्व सेवा से विरमित होकर योगदान दिये होगें। ऐसी परिस्थिति में उनकी पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा के साथ परिगणित किये जाने में भी कठिनाई होगी जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निदेश का अनुपालन किया गया।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत उचित होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–14994 दिनांक–26.08.2022 (पृष्ठ–574–573/प०) में निहित आदेश के अनुपालन में दिये गये योगदान की तिथि से ही संबंधित निम्नवर्गीय लिपिकों का योगदान स्वीकृत किया जाय।

6. उक्त के आलोक में सूचना प्रावैधिकी विभाग में कुल 06 अभ्यर्थियों के द्वारा दिये गये प्रथम योगदान की तिथि से उनका योगदान निम्न प्रकार स्वीकृत किया जाता हैः–

क्र०	नाम	योगदान की तिथि
I.	श्री राहुल कुमार	26.08.2022
II.	श्री उदय प्रताप सिंह	26.08.2022
III.	श्री रवि कुमार	29.08.2022
IV.	श्री अमरजीत कुमार	29.08.2022
V.	श्री निखिल राज	30.08.2022
VI.	श्री राजीव कुमार	01.09.2022

7. उक्त सभी निम्नवर्गीय लिपिकों (वेतनमान 5200–20200 + 1900, लेवल–02) के वेतन एवं भत्ते का भुगतान कंडिका–6 में उल्लिखित योगदान की तिथि से मुख्य शीर्ष–3451– सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उपशीर्ष–0027–सूचना प्रावैधिकी विभाग, माँग संख्या–25, विपत्र कोड–25–3451000900027 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। ह०/–

(अंजन कुमार गुप्ता)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 01–सू०प्रा०(स्था०)–47/2022......................../पटना, दिनांक....................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ह०/–

सरकार के अवर सचिव

क्रमशः पृष्ठ–3/–

ज्ञापांक: 01—सू०प्रा०(स्था०)—47/2022....575............/पटना, दिनांक....08/4/26...........

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री कोषांग/सचिव कोषांग/विशेष सचिव कोषांग/उप सचिव कोषांग/अवर सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/आई०टी० प्रबंधक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव